30.12.2020 वकील वादी उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत फैसला पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली के सव शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
01/19	2019/00001	02.01.2019

1.हामिद खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान आयु 78 वर्ष निवासी वजीरपुर दरवाजे बाहर करौली राज0
2.अब्दुल अजीज खां पुत्र बशीर खां आयु 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर दरवाजे बाहर करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1.गफ्फार पुत्र खैराती जाति मुसलमान आयु 65 वर्ष निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिंह पौर के नीचे करौली राज0
2.इशाक खान पुत्र खैराती –प्रतिवादीगण जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिंह पौर के नीचे करौली राज0
3.मुस्ताक पुत्र खैराती जाति मुसलमान आयु 50 वर्ष निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिंह पौर के नीचे करौली राज0
4.इरफान उर्फ भूरा पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिंह पौर के नीचे करौली राज0
5.इरशाद पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान आयु 35 वर्ष निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिंह पौर के नीचे करौली राज0
6. असफाक उर्फ अस्सो पुत्र जीमल जाति मुसलमान आयु 35 वर्ष
7.पन्ना पुत्र कमाल खां जाति मुसलमान आयु 55 वर्ष निवासी मुन्ना तहसलिया का तिराहा बिचपुरी रोड करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा 188 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः–30.12.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खं0न0 8865 लगायत 8879, कुल किता 15 कुल रकबा 11 बीघा 17 विस्वा एवं खं0न.8862/4 रकबा 3 बीघा 01 विस्वा ग्राम कस्बा करौली वाडी नं0 1 के खातेदारी व कच्चे काश्त की है एवं आराजी खं.न.8885/2 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा कस्बा करौली वादी नं. 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जो मौके पर एक चक है जिसकी चारों तरफ से मिट्टी की डोल व पत्थरों को गड्डूओं से लोहे के तारों से तारबन्दी हो रही है।उक्त आराजीयान में वादीजन [illegible] हो रहा है। कुऑ वाले वोर में मशीन डली हुयी है जिसकी बिजली विभाग [illegible] में उक्त आराजीयान दो फसली है जिससे प्रतिवादीगण का कोई [illegible] नीबू की बगीची लगी हुई थी भूरसिंह व मोतीलाल माली वादीगण के [illegible] की ओर से काश्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बगीची की रखवाली करते थे तीना पेड आम के व दो पेड भील के खडे हुये है। प्रतिवादी गण का वादीगण की आराजीयत में किसी भी प्रकार का कब्जा व खातेदारी सम्बन्ध नही है।प्रतिवादीगण लडाकू झगडालू तथा राज कानून से निडर व्यक्ति है हाल ही में पुलिस थाना करौली में सिपाही की मारपीट कर उसका हाथ तोड दिया जिसका मुकदमा गैर तफदीश है पन्ना मर्डर केस में 14 साल की सजा काटकर आया है हिस्ट्रीशीटर होने से जिला बदर किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की उपरोक्त आराजीयात की हकबन्दी तारों को काटकर चुरा लिया एवं मारपीट की धमकी देकर वादीजन को हाली को भगा दिया जिससे हमारी काश्त में अनावश्यक मदालखत हो रहो है।काश्त में रूकावट डाल रहे है जमीन बंजर पडी हुयी है बिजली की केवल काट दी है दिनांक 16.12.2018 को वादीगण टेक्टर लेकर खेत को जुताने बुबाने के लिए गये थे प्रतिवादीगण ने ऐलीनिया धमकी देकर टेक्टर वालो को भगा दिया खेत का जोतने बोने नही दिया इस प्रकार वादीगण के कब्जे खातेदारी की आराजीयात की काश्त में रूकावट डाल रहे है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है।अन्त में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गय प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

वादीगण के साक्ष्य एक पक्षीय वादीगण में वादी हामिद pw1 अब्दुल अजीज pw2 गवाह मौहम्मद वकील pw3 के ब्यान लेख वध कराये है एवं दस्तावेजी सवूत में नकल नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श –1 व 2 प्रदर्शित करायी है।

वहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे कश्त की है जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और वादीगण की तारवन्दी को काटकर चुरा लिया है और बिजली सिंचाई बोरिंग कनेक्शन की केबिल को काट दिया और ट्रेजर का भगा दिया और भूमि को जोतने बोने नही दिया और वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत करने की धमकी दी है वादीगण ने दावा के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श 01 व 02 प्रस्तुत की है भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज है वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है दावा वादीगण ड्रिकी किया जावे।

वहस वकील वादीगण का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2085 प्रदर्श 01 व 02 का साक्ष्य मौखिक वादीगण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से वादीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार अंकित है मौखिक साक्ष्य वादीगण Pw1 o Pw2 से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना प्रकट है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने योग्य है।

उक्त दावा वादीगण विकय प्रतिवादीगण [illegible] है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 8865 लगायत 8875 कुन किता 15 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा एवं ख0नं0 8862/4 रकवा 3 बीघा 01 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 10 तह0 करौली में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत नही करें ना किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्ष कारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner